न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:—39 / 2018 दायर दिनांक:—15.06.2018

जीसीएमएस नं. 2018 / 00114

मु0 अंगूरी पुत्री सुक्का ऊर्फ सुक्कन पत्नि सोहनलाल उम्र 68 साल जाति कोली निवासी हिण्डौनसिटी हाल वासी ग्राम बाछरैन तहसील मुसावर जिला भरतपुर राज0

————सायला

बनाम

1. मु0 दीपो पुत्री सुक्का ऊर्फ सुक्कन उम्र 70 साल पत्नि प्रेमचन्द जाति कोली निवासी डैम्परोड कोलीपाडा हिण्डौन जिला करौली
2. चतुर्भुज दत्तक पुत्र सुक्कन उम्र 45 साल जाति कोली निवासी डैम्परोड कोलीपाडा हिण्डौनसिटी जिला करौली राज0

—गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित —1.श्री अशोक नीमनका वकील सायलान
2.श्री आर. सी. जैन वकील गैरसायलान

निर्णय

दिनांक 14.05.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी साबिक खसरा नं0 1767 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा स्थित कस्बा हिण्डौन जिला करौली जिसका मौजा खसरा नं0 2529 रकबा 69 ऐयर कायम किया गया है। सायला व गैरसायल नं0 1 खास बहिने हैं। गैरसायल नं0 2 गैरसायल नं0 1 का पुत्र है यानि एक ही परिवार के सदस्य रहे हैं। सायला के पिता को कोई मेज इश्यू नहीं था महज दो पुत्रियॉ सायला व गैरसायल नं0 1 थी। मु0 रूक्को मृतक सुक्कन की बेवा थी। सायला के पिता का सन् 1975 या इसके आसपास स्वर्गवास हो गया था उनकी मृत्यु के बाद जमीन वर्णित मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र मृतक रूक्को की खातेदारी में दर्जकरदी गयी जो गैरसायलान द्वारा सरकारी कर्मचारियों से साज कर गलत खातेदारी दर्ज की गयी क्योंकि कानूनन मृतक सुक्कन के [illegible] का नामान्तकरण खुलना चाहिए था यानि मु0 रूक्को हिस्[illegible] तथा अंगूरी हिस्सा 1/3 का नामान्तकरण तस्दी होना चाहिए था [illegible] के नाम खातेदारी एवं इनसीयो बोइड या शून्य प्रभावी करार फरमाया जाना आवश्यक [illegible] न्याय संगत है। वादी[illegible] व गैरसायल नं0 1 व उनकी माता जी के मध्य व सुक्कन की मृत्यु के बाद एक फेमिली सेटिलमेन्ट 5/— के स्टाम्प पेपर पर दिनांक 15.12.1975 को एक फेमिली सेटिलमेन्ट डीडराईटर श्री कल्याण प्रसाद शर्मा की कलम से तीनों पक्षों के मध्य यानि रूक्को व उसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:01:21 IST
Reason: SelfAttested

दोनों पुत्रीयों अंगूरी व दीपो जिन्होंने दुकान मकान का मुताविक फेमिली सेटिमेन्ट बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभेग कर रहे हैं जिनका कोई विवाद नहीं है। आराजी खसरा नमबर 1767 रकवा 2 बीघा 15 विस्वा जिसका मौजूदा खसरा नम्बर 2529 रकवा 69 एंयर बना है को तीन हिस्सा बरावर मुताबिक फेमिली सेटिलमेन्ट रखा गया था मगर गैरसायलान द्वारा मु0 रूक्को से साज करके या फर्जी तोर पर एक वसीयत द्वारा मु0 रूक्को बहक गैरसायल नं0 2 चतुर्भुज दिनांक 07.12.1989 को तहसीलदार सब रजिस्ट्रार हिण्डौन के यहॉ तस्दीक करवा कर उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर नामान्तकरण संख्या 475 दिनांक 04.06.1994 को गैरसायल नं0 2 के हक में तकमील तस्दीक करवा दिया है जिसका सायला को कभी कोइ इल्म नहीं होने दिया। सायला व गैरसायल नं0 1 संयुक्त रूप से जमीन को काश्त करते चले आ रहे हैं और यह क्रम आज भी बदस्तूर है। आराजी विवादग्रस्त मृतक सुक्कन से विरासत में प्राप्त हुई है और पुश्तैनी जमीन है। वसीयत कानूनन शून्य प्रभावी है इसलिए तथाकथित वसीयत एवइनसीयो बोईड व शून्य प्रभावी है। मु0 रूक्को का कानूनन 1/3 हिस्सा मुताबिक विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम बनता है 1/3 हिस्सा से ज्यादा जायदाद का हस्तान्तरण करने की मु0 रूक्को को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए तथाकथित वसीयत व मौजूदा खातेदारी बहक चतुर्भुज गैरसायल नं0 2 एवइनसीयों बोइड व शून्य प्रभावी है। नामान्तकरण संख्या 475 दिनांक 04.06.1994 जॉच जरिये हल्का गिरदावर द्वारा गोदपत्र द्वारा रूक्को बहक चतुर्भुज अंकित किया है, नामान्तकरण के कालम नं0 14 में रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 07.12.89 का जिक्र किया है तथा जमाबन्दी आधार वर्ष संवत 2047 में लगे नोट में चतुर्भुज का दत्तक पुत्र सुक्कन बताया है तीनों ही बातें एक दूसरे के विरीत हैं। वसीयत के आधार पर दत्तक नहीं हो सकता यानि जमाबन्दी अपने आप में गलत है शून्य प्रभावी है।

सायला दिनांक 07.06.2018 को वर्षा हो जाने पर अपने खेत को अगली फसल के लिए तैयार करने के लिए आई थी कि गैरसायल नं0 1 के पास ही खडी थी वहॉ पर 4–5 आदमी खेत के बेचान की बातें कर रहे थे खदीद्दार प्रोपर्टी की खरीद फरोक्त करने वाले गिरोह जिसमें गैरसायल नं0 2 खेत का मूल्य 1 करोड 20 लाख रूप्ये मॉग रहा था तथा वे 80 लाख रूप्या लगा रहे थे इस पर सायला ने गैरसायलान से जानकारी की तो गैरसायल नं0 1 ने कहा कि खेत हमने हमारे नाम करवा लिया है बिक जायेगा तो तुझे 10–5 लाख रूपया दे देगें इस पर सायला नले कहा कि हमा[illegible] जमीन को मैं बेचना नहीं चाहती हूँ तो गैरसायल नं0 2 द्वारा एलानिया [illegible] है हमें रोकने वाली हमने पक्का काम करवा लिया है। भग जा यहॉ से। इस [illegible] सायला ने गैरसायलान व पडौसीयान व रिश्तेदारान को बुलवा कर समझाने का प्रयास किया मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं और जमीन बेचने की खुले आम धमकी दी है। यदि गैरसायलान अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो सायला का दावा पेश करने का मकसद ही फौत हो जावेगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:01:21 IST
Reason: SelfAttested

तथा भारी क्षति होगी जिसकी क्षति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी। सायला का प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु पूरी तरह से साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस अमर के लिए पाबंद फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 2529 रकवा 69 ऐयर स्थित कस्बा हिण्डौन के कब्जे काश्त सायला में कोई मजाहमत मदाखलत नहीं करे। सायला को बेदखल नहीं करें उसे शान्ति पूर्वक जमीन को उपयोग करने देवे जमीन को अकृषि में परिवर्तित नहीं करें रहनवय नहीं करें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे सायला के हक हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डॉक द्वारा की गई। अप्राथी नं0 1 व 2 को जबाव हेतु कई अवसर देने के बावजूद जबाव पेश नही करने पर आदेशिका दिनांक 8.7.2022 द्वारा जबाव बंद कर दिया गया, एवं अप्राथीगण न0 3,4 वावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर आदेशिका दिनांक 19.07.2019 द्वारा अप्रार्थीगण नं0 3 व 4 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रकरण में प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में एकपक्षीय प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2067–70 खाता संख्या 210 खसरा नं0 625, 626, 627, 628, 1079 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ जिला करौली का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि संयुक्त खातेदारी की भूमि पर समस्त अंशधारी खातेदार पूर्णभूमि पर काबिज होते हैं तथा उभयपक्ष की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में दिनांक 03.07.2015 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी की मौका एवं रिकॉर्ड की स्थिति ताफैसला बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 व 2 की ओर से श्री आर.सी. जैन अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया एवं जबाव पेश किया गया, जिसके साथ फोटो [illegible] रूक्को वेवा सुक्कन दिनांक 8.3.1983, फोटो प्रति वसीयतनामा [illegible] प्रति विकय पत्र दुकान अंगूरी देवी बहक रूमाली पेश कि[illegible]त्रावली किये गये।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2047, 2071–74, भामाशाह कार्ड की प्रति मिलान क्षेत्रफल की प्रति, नामान्तकरण की प्रति पेश किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:01:21 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है, साथ ही गैरसायलान वकील द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सायला का प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेद्याज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2047, के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2529 रकवा 0.69 है0 ग्राम कस्बा हिण्डौन सुक्को वेवा सुक्का जाति कोली निवासी ग्राम खातेदार व जमाबंदी संवत 2071–74 के अनुसार व रजि0 गोदपत्र रूक्को वेवा सुक्कन दिनांक 8.3.1983, फोटो प्रति वसीयतनामा मु0 रूक्को वेवा सुक्कन एवं फोटो प्रति विक्रय पत्र दुकान अंगूरी देवी बहक रूमाली उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 2529 रकबा 0.69 है0 ग्राम कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी चतुर्भुज दत्तक पुत्र सुफ्फन जाति कोली निवासी भुसावर हाल हिण्डौन खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड गोदनामे से चतुर्भुज के नाम जमीन आ गयी तो उसमें अंगूरी को कोई हिस्सा नही है जिससे विवादित आराजीयात से सायला का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना प्रतीत नहीं होता है और ना ही सायलान अपने आपको खातेदार के रूप में साबित कर पाया हैं। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। ना ही सायला ने ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश किया है कि उक्त विवादित आराजीयात में सायला का कब्जा काश्त हो। इस प्रकार सायला का प्राईमाफेस केस एवं सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायला के पक्ष में साबित नहीं होता है। इसलिए सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2569 रकवा 0.69 है0 वाके ग्राम कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

Signature Not Verified

आदेश आज दिनांक 14.05.2024 को [illegible] न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:01:21 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन